

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- कालूराम खौड आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 55/2017

किस्म :- वाद-पत्र

दायर दिनांक : 19.05.2017

निर्णय दिनांक : 17.07.2019

अनवान

वादीगण :-

उदा पिता डालू जाति कुम्हार निवासी खटीको की भागल तहसील आमेट जिला राजसमंद

--:बनाम:-

प्रतिवादीगण :-

1. नारायण पिता घासी जाति कुम्हार
2. रामा पिता घासी जाति कुम्हार
3. सोहन पिता तुलछा जाति कुम्हार
4. रोडा पिता तुलछा जाति कुम्हार
5. गोर्धन पिता पेमा जाति कुम्हार
6. रूपा पिता पेमा जाति कुम्हार
7. मदललाल मु0 दोला जाति कुम्हार
8. सुन्दर पिता डालु जाति कुम्हार

सभी निवासीयान खटीको की भागल तहसील आमेट जिला राजसमंद

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद

वाद विभाजन भूमि एवं राजस्व अभिलेखों में अंकन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :- वादी की ओर से :-

अधिवक्ता श्री डालचन्द्र जाट

प्रतिवादीगण ओर से :-

एकपक्षीय

वादी ने वाद बाबत विभाजनार्थ भूमि अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत कर वाद में वर्णित किया गया कि ग्राम खटीको की भागल पटवार हल्का सियाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या 40 मे आराजी नम्बर 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 984, 985, 986, 2099/959 कुल किता 33 रकबा 6.5250 हैक्टेयर स्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमियों में वादी का 1/9 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/9 व प्रतिवादी संख्या 8 का 1/9 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमिया संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है और विधिवत विभाजन भी नहीं हुआ है जिससे विवाद बढ रहा है, वादी अपने हिस्से की भूमियो का अपने मन माफिक तरिके से



at

भूमियो का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाया जाना वादी के लिये नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष में उक्त वाद स्वीकार करते हुए डिक्री प्रदान की जावे कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमियो का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सिद्धान्त के आधार पर विधिवत विभाजन भूमियों में से वादी के नाम 1/9 हिस्सा पृथक से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे। उपरोक्त वर्णित भूमि का नियमानुसार विभाजन मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के के आधार पर किया जाकर वादी के हक हिस्से में आने वाली भूमि वादी के नाम पृथक से राजस्व रेकर्ड में अंकित की जावे एवं वादी से अलग से लगान वसूल किया जावे एवं वादग्रस्त भूमियो का नियमानुसार विभाजन किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 6 बावजूद इत्तला के भी अनुपस्थित रहे जिनसे उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में दिनांक 20.06.2018 को प्रारंभिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार आमेट ने दिनांक 03.07.2019 को पक्षकारान् के मध्य विभाजन कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्राप्त पी.डी. पर अवलोकन करने पर तहसीलदार ने राजस्व मण्डल के नियमों के तहत विभाजन किया गया है। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की लिखित में या मौखिक में कोई उजर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्राप्त योजना अनुसार पक्षकारान् के मध्य अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का स्वीकार किया जाता है एवं पक्षकारान् के मध्य ग्राम खटीको की भागल पटवार हल्का सियाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या 40 में आराजी नम्बर 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 984, 985, 986, 2099/959 कुल किता 33 रकबा 6.5250 हैक्टेयर में निम्न अनुसार विभाजन किया जाता है :-

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	लगान
01	नारायण पिता घासी 1/3 रामा पिता घासी 1/3 नाबा सोहन पिता तुलछा	961	0.3000	4.20
	1/9 सरपरस्त माता मोहनी नाबा रोडा	962	0.2300	4.60
	पिता तुलछा 1/9 सरपरस्त माता मोहनी मोहनी पत्नी तुलछा 1/9 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	963/2	0.4030	6.96
		964	0.2500	0.25
		965	0.2000	0.20
		980	0.2100	4.20



2

		981	0.1600	3.20
		982	0.1800	3.60
		976	0.0250	0.45
		986 / 2	0.1800	0.18
	योग :-	10	2.1380	27.84
क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	लगान
02	गोरधन पिता पेमा 1/2 रूपा पिता पेमा 1/2 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	958 / 2	0.0220	0.22
		959 / 2	0.6850	11.65
		960 / 2	0.2150	3.01
		963 / 1	0.0070	0.14
		969	0.0800	1.60
		970	0.3450	1.73
		971 / 1	0.1600	2.92
		972	0.1800	0.18
		973	0.1200	2.16
		974	0.0800	1.60
		977 / 1	0.1340	2.44
		986 / 1	0.0300	0.03
		2099 / 959	0.0800	—
	योग :-	13	2.1380	27.68
क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	लगान
03	मदनलाल दत्तक पुत्र दोला 1/2 उदा पिता डालू 1/4 सुन्दर पिता डालू 1/4 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	952	0.1800	2.52
		953	0.1300	1.82
		954	0.2150	3.01
		955	0.2300	4.50
		956	0.2200	4.40




2

		957	0.4000	6.70
		968	0.0900	0.09
		979	0.4600	8.50
		984	0.0400	0.04
		985	0.0550	0.05
		960 / 1	0.0250	0.35
		959 / 1	0.0850	0.85
		958 / 1	0.0080	0.08
	योग :-	13	2.1380	32.91
क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	लगान
	नारायण पि. घासी रामा पि घासी नाबा	978	0.0400	—
	सोहन पि तुलछा नाबा रोडा पि तुलछा	977 / 2	0.0160	0.16
	सरपरस्त माता मोहनी मोहनी पत्नी	971 / 2	0.0050	0.05
	तुलछा गोरधन पि. पेमा रूपा पि. पेमा	975	0.0300	—
	मदनलाल दत्तक पुत्र दोला उदा पि.	958 / 3	0.0200	0.40
	डालु सुन्दर पिता डालू कुम्हार सा. देह			
	योग :-	5	0.1110	0.61

खातेदारान मे से मोहनी पत्नी तुलछा एवं रूपा पिता पेमा फोट होने से इनके वारिसान का नाम दर्ज की जावे। उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान् के राजस्व अभिलेख में पृथक-पृथक अंकन करने हेतु तहसीलदार आमेट को विभाजन मय नक्शा ट्रेस के लिखा जावें । तदनुसार डिक्री पर्चा कायम हो । तहसीलदार द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय का जुज हिस्सा माना जावेगा।



पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें ।


 सहायक कलेक्टर
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 आमेट
 (राजसमंद)

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में अन्तिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) आमेट जिला-राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- श्री कालुराम खौड

राजस्व वाद संख्या :- 55/2017

वादीगण :-

उदा पिता डालू जाति कुम्हार निवासी खटीको की भागल तहसील आमेट जिला
राजसमंद

—:बनाम:—

प्रतिवादीगण :-

1. नारायण पिता घासी जाति कुम्हार
2. रामा पिता घासी जाति कुम्हार
3. सोहन पिता तुलछा जाति कुम्हार
4. रोडा पिता तुलछा जाति कुम्हार
5. गोरधन पिता पेमा जाति कुम्हार
6. रूपा पिता पेमा जाति कुम्हार
7. मदललाल मु0 दोला जाति कुम्हार
8. सुन्दर पिता डालु जाति कुम्हार
सभी निवासीयान खटीको की भागल तहसील आमेट जिला राजसमंद
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार आमेट जिला राजसमंद

दावा :- वाद अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से :- अधिवक्ता श्री डालचन्द्र जाट

प्रतिवादीगण की ओर से :- एकपक्षीय

मे इस आशय में दिनांक 17.07.2019 की न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का स्वीकार किया जाता है एवं पक्षकारान् के मध्य ग्राम खटीको की भागल पटवार हल्का सियाणा तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या 40 मे आराजी नम्बर 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 984, 985, 986, 2099/959 कुल कित्ता 33 रकबा 6.5250 हैक्टेयर में वर्णित वादग्रस्त आराजियात का बटवाडा फहरिस्त तहसीलदार आमेट से प्राप्त अनुसार विभाजन किया जाता है। एवं पक्षकारान् के मध्य राजस्व अभिलेख में पृथक-पृथक अकनं किया जावें। विभाजन प्राप्त तहसील से विभाजन योजना को निर्णय का जुज हिस्सा माना जावेगा।

आज दिनांक को 17.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।



सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

